
न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

| आदेश दिनॉंक—18.01.2017 | ale Mi | <u>प्र0कं0 513/12 विद्युत</u> |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| शासन | 4 | अभियोगी |

सिंह आरोपी Order sheet (contd)

case N0- 513/of 2012

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding officer | Signature of parties or pleaders where necessary |
|-----------------------------------|--|--|
| 18 <u>.01.2017</u> | परिवादी की ओर से श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। आरोपी जयवीर सिंह अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना उमरी जिला भिण्ड से आरोपी का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि उसे तलाश करने पर वह नहीं मिला। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक कं0 336 जितेन्द्र सिंह उपस्थित हैं। उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक जितेन्द्र सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तद्ानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे। सही / — | |



ATTEMPTA PARETON BUILTING BUIL